झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं०सं०–8/ज० सं०(नि०)सु०परि०(ई०गा०)–07–02/2014:– /राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री गणेश कुमार, सहायक अभियंता सम्प्रति प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमंडल, बरहरवा ने जबकि वे अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, खरकई नहर अवर प्रमण्डल सं०–02, राजनगर के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री गणेश कुमार, सहायक अभियंता(चालू प्रभार) के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री गणेश कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमंडल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव पर सचिव/विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः–मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर / श्री गणेश कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमण्डल, बरहरवा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(शेखर कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपिः–अनुबंध की प्रति के साथ– मुख्य अभियंता (मोनिटरिंग), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, राजनगर/ श्री गणेश कुमार,, प्राक्कलन पदाधिकारी, सिंचाई प्रमण्डल, बरहरवा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें। साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनुलग्नकः–यथावत्।

ह0/–
(शेखर कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– 1904 /राँची, दिनांकः– 3-3-14

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–02)/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शेखर कुमार वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।